यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार के माह 12/2016 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मनोज कुमार नेगी, श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों तथा श्री हरि ओम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06/11/2017 से 10/11/2017 तक श्री वी.एस.पंवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रयाकलापः अधीनस्थ खण्डों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का निरीक्षण/परीक्षण/सुपर वजन एवं प्रशासनिक नियंत्रण।

भौगो लक अ धकार क्षेत्रः जनपद हरिद्वार के अंतर्गत आवंटित 28 नहरों का अनुरक्षण व 6 पुरानी नहरों के अनुरक्षण व संचालन का कार्य।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-					-	-
2015-16	-	-					-	-
2016-17	-	-			4165000	3129537	-	1035463
2017-18 (10/2017तक)	-	-			8026000	6602881	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख स चव/स चव, संचाई वभाग, उत्तराखण्ड

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष

मुख्य अ भयन्ता, स्तर-2 हरिद्वार

अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अ धकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अन्तर्गत कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार के माह दिसम्बर 2016 से अक्टूबर 2017 तक के अ भलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 अ

-शून्य-

भाग 2 ब

प्रस्तर 1: योगपुर वालावाली में बाढ़ सुरक्षा कार्य प्रारम्भ न कया जाना।

अधीक्षण अ भयन्ता, हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना जांच में देखा गया क अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा दिनांक 15/06/2017 को भोगपुर वालावाली वन्ध के स्थलीय निरीक्षण में भोगपुर वन्ध (20.50 कमी.) के कमी. 5.50, कमी. 11.60 से 12 के मध्य तथा कमी. 13 व 14 के मध्य कटाव की स्थिति के अ भले खत करते हुए वर्षाकाल से पूर्व अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्दे शत कया गया था, उल्लेखनीय था क कबुलपुर रायगडी गांव की सुरक्षा हेतु दो संख्या स्टड बनाये जाने का प्रश्न वधान सभा में उठाये जाने का उल्लेख भी अ भलेखों से स्पष्ट था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इं गत कये जाने पर खण्ड ने उत्तर में बताया क योजना हेतु खण्ड द्वारा तैयार योजना/प्राक्कलन स्वीकृति हेतु शासन को प्रे षत कया गया था, जिसकी स्वीकृति शासन से अपे क्षत थी, शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। खण्ड द्वारा प्रकरण की गम्भीरता एवं वधानसभा के प्रश्न तथा अधीक्षण अ भयंता के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्यवाही की जाती थी। इस प्रकार वभागीय उदासीन, कमजोर अनुबंध तंत्र तथा आन्तरिक नियंत्रण का द्योतक है।

प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा			

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
				-

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री एस.सी. जोशी,	अधीक्षण अ भयन्ता

(i) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II